उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-165/2019/2470/92-2-19-55जांच/2018

लखनऊ:: दिनांक:: 07 नवम्बर 2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग जनपद कानपुर में डॉ0 अम्बेडकर इन्स्टीटयूट आफ टेक्नालॉजी फार हैण्डीक्राप्ट, अवधपुरी कानपुर नगर के महिला छात्रावास तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रस्तावित आंगनबाडी केन्द्रों के निर्माण कार्यो को कराये जाने में की गयी अनियमितता हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-19/2018/292/92-2-18-55जांच/2018 दिनांक 30-01-2019 द्वारा श्री डी0डी0 पाठक, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर को आरोप पत्र देकर उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-बस्ती को पदेन जॉच अधिकारी तथा प्रकरण में विभागीय पक्ष/अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर को पदेन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नामित किया गया।

2- अनुशासनिक जांच गतिमान रहने के दौरान अपचारी अधिकारी, श्री डी0डी0 पाठक, अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर के अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दि0 31-01-2019 को सेवानिवृत्त हो जाने के द्रष्टिगत उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-01-2019 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-77अ0मु0 स0/92-2-19-55जांच/ 18 दि0 09-07-2019 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत परिवर्तित किया गया।

3- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-बस्ती द्वारा जांच कार्यवाही पूर्ण करते हुये जांच आख्या शासन में दि0 06-09-2019 को उपलब्ध करायी गयी। शासन द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी, श्री डी0डी0 पाठक, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-कानपुर नगर के विरूद्ध संस्थित उक्त अनुशसनिक कार्यवाही की पुन जांच मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ जोन से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अत: प्रश्नगत अनुशासनिक जॉच में मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

4- जॉच अधिकारी को पहले से अनुमोदित आरोप पत्र की प्रति प्रेषित करते हुये यह अपेक्षा की जाती है कि प्रकरण में विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (दो प्रतियों में) शासन को प्राथमिकता पर उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-165/2019/2470(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभि0,ग्रा0अभि0वि0, उ0प्र0।

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता, लो0नि0वि0, लखनऊ जोन को शासन के पत्रांक-293/92-2-19-55जांच/18 दि0 30-01-2019 द्वारा निर्गत आरोप पत्र की **संलग्नक** सहित प्रेषित।

3- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/अधिशासी अभियंता,ग्रा0अभि0वि0,प्रखण्ड-कानपुर नगर।

4- श्री डी0डी0 पाठक, तत्का0 अधि0अभि0, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-कानपुर नगर सम्प्रति सेवानिवृत्ति द्वारा -निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।